

**न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर,  
जिला बालाघाट (म0प्र0)  
समक्ष:-दिलीप सिंह**

आर.सी.एस.ए-300003 / 2015

संस्थित दिनांक-20.01.2015

1. फुल्लोबाई पति स्व. फागूसिंह आयु 57 वर्ष,
2. सुन्दर पिता स्व. फागूसिंह आयु 28 वर्ष,
3. रूपातिनबाई पिता स्व. फागूसिंह आयु 25 वर्ष,
4. समरतसिंह पिता स्व. फागूसिंह आयु 32 वर्ष,
5. इमरतसिंह पिता स्व. फागूसिंह आयु 30 वर्ष,
6. तिहारोबाई पिता स्व. फागूसिंह आयु 26 वर्ष,  
सभी जाति अहीर निवासी-कुगांव थाना गढ़ी  
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

.....वादीगण

- / / विरुद्ध / / -

1. फगनलाल पिता स्व. लालमन आयु 56 साल,
2. गेंदलाल पिता स्व. गोधन आयु 45 साल,
3. धिन्नु पिता स्व. गोधन आयु 43 साल,
4. सोमलाल पिता स्व. गोधन आयु 41 साल सभी जाति अहीर,  
निवासी-कुगांव, थाना गढ़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट
5. लामु पिता बीरसिंह आयु 34 साल,
6. कोलीबाई आयु 35 साल पिता स्व. बीरसिंह,
7. गुडडीबाई आयु 32 साल पिता स्व. बीरसिंह,
8. सकरू आयु 38 साल पिता स्व. चैनसिंह,
9. छत्तरसिंह आयु 37 साल पिता स्व. चैनसिंह,
10. रमेश आयु 30 साल पिता स्व. चैनसिंह,
11. महेश आयु 28 साल पिता स्व. चैनसिंह,
12. गनेश आयु 26 साल पिता स्व. चैनसिंह,
13. चैतराम आयु 24 साल पिता स्व. चैनसिंह,
14. चिन्दू आयु 22 साल पिता स्व. चैनसिंह,
15. फगनीबाई आयु 20 साल पिता स्व. चैनसिंह,  
निवासी-जामटोला, गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट,
16. मध्यप्रदेश राज्य तरफे-श्रीमान कलेक्टर महोदय,  
बालाघाट जिला बालाघाट

.....प्रतिवादीगण

- / / निर्णय / / -

(आज दिनांक-31.10.2017 को घोषित)

1. वादीगण ने यह वादपत्र हक घोषणा एवं अंश निर्धारण, संशोधन पंजी  
क्रमांक-4 दिनांक-10.11.92 को वैध घोषणा व तहसील बैहर के रा.प्र.क.  
60अ-27 / 2011-12 आदेश दिनांक-26.03.2012 को प्रभावशून्य घोषित कराने हेतु  
प्रस्तुत किया है।

2. वादीगण का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनके मध्य भूमि ख.नं-6 रकबा 066 डि., ख.नं-01 रकबा 0.55 डि., ख.नं-31/3 रकबा 2.36ए, ख.नं-32 रकबा 4.50ए, ख.नं-45/2 रकबा 2.16ए, ख.नं-43 रकबा 11.73 मौजा जामटोला, प.ह.नं-53 रा. नि.मं. एवं तहसील बैहर जिला बालाघाट की भूमि लालमन, चैनसिंह, बीरसिंह, मंगलोबाई, गोधन, को बंटवारे में प्राप्त हुई थी। मूल पुरुष लालमन की भूमि रकबा 14.23 एकड़ थी, जो विक्रय होने के पश्चात् वर्तमान में 10.23 एकड़ है। ख.नं-43 रकबा 11.73 एकड़ भूमि लालमन ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण को पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार बंटवारे में दी थी। लालमन ने उसके चारों पुत्र बीरसिंह, गोधन, चैनसिंह, फगन के लिए अपने जीवनकाल में बंटवारा करने के लिए परिवार में कम जमीन होने के कारण प्रतिक.-1 फगन के नाम पर श्रीराम, दिनेश वल्द श्रीराम कुनबी साकिन गढ़ी वाले से 200/-रुपये में जमीन खरीदकर रखी थी, जिसे वादीगण के पिता फागु अन्य तीन पुत्रों को आपसी कृषि कार्य करने व उक्त कयशुदा भूमि पर सह-खातेदारों के रूप में नाम दर्ज करवाये जाने तथा भूमि स्वामी हक प्राप्त किये जाने हेतु सहमति दी थी। प्रतिक.-1 के द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश करने पर बीरसिंह, चैनसिंह, गोधनसिंह का नाम संशोधन पंजी क्र.-चार दिनांकित-10.11.1992 के द्वारा ख.नं-43/1 रकबा 11.23 एकड़ भूमि पर शामिल शरीक खातेदार के रूप में नाम दर्ज किया गया था। उक्त संशोधन में प्रतिक.-1 व लालमन के अन्य तीन पुत्रों के हस्ताक्षर लिये थे, इस कारण उक्त ख.नं-43/1 रकबा की भूमि मूल पुरुष लालमन के द्वारा स्वअर्जित आय से कय की गई संपत्ति थी, जिस पर वादीगण का पूर्ण अधिकार व हक है। वादीगण को प्राप्त होने वाली भूमि को तथा लालमन द्वारा कय की गई प्रतिक.-1 की भूमि को वादीगण के दादा गोधन व प्रतिवादीगण क्र.2,3,4 व प्रतिक.-5 से 16 तक के पिता का नाम संशोधन पंजी क्र-4 दिनांक-10.11.1992 के अनुसार ख. नं-43/1 में दर्ज होने के पश्चात् प्रतिक.-1 के मूल पुरुष लालमन की मृत्यु होने के पश्चात् राजस्व प्रलेखों से वादीगण के पिता एवं प्रतिक.-2,3,4 तथा प्रतिक.-4 लगा. 16 के पिता का नाम वादीगण की जानकारी के बिना कटवा दिया था, जो कि वादीगण पर बंधनकारक नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण ने उनके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उनके पक्ष में डिक्री दिये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रतिक. 1 लगा. 4 ने वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर उनके विशेष कथन में बताया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य 4 वर्ष पूर्व बंटवारा हो चुका है। अब पुनः उसी

बिन्दु पर जब पक्षकारों के मध्य एक बार बंटवारा हो गया और बंटवारा स्वीकार कर लिया गया है। पक्षकारगण उनके पूर्व कथनों से इंकार नहीं कर सकते, उनके विरुद्ध लॉ ऑफ स्टापेल का नियम लागू होता है। प्रकरण कालसीमा के बाहर पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा पेश किया गया दावा सब्यय निरस्त किया जावे। प्रति.क्र.01 लगा. 4 ने वादिनी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रकरण में प्रति.क्र.-6 एवं 8 दिनांक-06.07.2015 को, प्रति.क्र.-15, 16 दिनांक-27.08.15 को, प्रति.क्र.-5, 7 एवं 9 लगा. 14 दिनांक-05.08.16 को एकपक्षीय हुए हैं। इस कारण उक्त प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाब नहीं दिया गया है।

5. प्रकरण में तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

क्र.मांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादग्रस्त सम्पत्ति खसरा नम्बर 6, 1, 31/3, 32, 45/2, 43 रकबा 0.66 डिसमिल, 0.55 डिसमिल, 2.36 एकड़, 4.50 एकड़ पैतृक संपत्ति होकर वादीगण के स्वामित्व की है ?	“प्रमाणित नहीं”
2	क्या वादग्रस्त संपत्ति का पूर्व बंटवारा हो चुका है ?	“प्रमाणित नहीं”
3	क्या वाद अवधि बाध्य है ?	“प्रमाणित नहीं”
4	सहायता एवं व्यय ?	वादीगण का वादपत्र निर्णय की कड़िका-13 के अनुसार निरस्त किया गया है।

#### वादप्रश्न क्र.मांक-01 व 2 का निराकरण:-

6. फुल्लोबाई वा.सा.1 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि वादग्रस्त भूमि का उसके एवं प्रतिवादीगण के मध्य 23 वर्ष पूर्व बंटवारा हो चुका है। उसी समय वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता के बीच में बंटवारा हो चुका था एवं वह अलग-अलग कृषि कार्य करते थे। भूमि ख.नं-6 रकबा 0.66 डि., ख.नं-4 रकबा 0.55 डि., ख.नं-31/3 रकबा 2.36 ए., ख.नं-32 रकबा 4.50 ए., ख.नं-45/2 रकबा 2.16 ए., ख.नं-43 रकबा 11.73 ए. भूमि जो रा.नि.मं. व तह. बैहर जिला बालाघाट में स्थित है। उक्त भूमि लालमन, चैनसिंह,

वीरसिंह, मंगलोबाई, गोधन को लालमन द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार किये गए बंटवारे में प्राप्त हुई थी, जो कि पूर्व में खानदानी जमीन मूल पुरुष लालमन की रकबा 14.23 एकड़ भूमि थी। बिक्री के कारण वर्तमान में 10.23 एकड़ भूमि बची है। ख.नं-43 रकबा 11.73 एकड़ भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार लालमन ने दी थी। लालमन ने उसके जीवनकाल में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कर दिया था। अलग होने के बाद लालमन ने उसके चारों पुत्र बीरसिंह, गोधन, चैनसिंह, फगन के लिए उसके जीवनकाल में बंटवारा करने के लिए परिवार में कम जमीन होने के कारण प्रति.क-1 के नाम पर श्रीराम दिनेश से जमीन खरीदकर रखी थी, जिसे वादीगण के पिता फागू एवं चैनसिंह, फगन, बीरसिंह, गोधन को आपसी कृषि कार्य करने एवं उक्त कृषि भूमि पर सहखातेदारों के रूप में नाम दर्ज करवाए जाने एवं भूमि स्वामी हक प्राप्त किये जाने के लिए सहमति दी थी, जिस पर प्रति.क.1 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार बैहर के समक्ष आवेदन पेश कर बीरसिंह, चैनसिंह, गोधनसिंह का नाम संशोधन पंजी क-4 दिनांकित 10.11.1992 के द्वारा ख.नं-43/1 रकबा 11.23 एकड़ मौजा गढ़ी प.ह.नं-53 पर शामिल-सरीक रूप में दर्ज की गई थी, जिसमें विधिवत् रूप से अखबार में प्रकाशन किया गया था, कोई आपत्ति नहीं आने से प्रति.क.1 एवं लालमन के हस्ताक्षर लिये गए थे। इस कारण ख.नं-43/1 की भूमि मूल पुरुष लालमन के द्वारा स्वअर्जित आय से क्रय की गई संपत्ति है, जिस पर सभी का पूर्ण अधिकार है।

7. फुल्लोबाई वा.सा.1 का यह भी कहना है कि वादीगण को प्राप्त होने वाली खानदानी हक की भूमि को लालमन के द्वारा प्रति.क.1 के नाम पर क्रय की गई, संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिक विवादग्रस्त सम्पत्ति को उसके दादा गोधन एवं प्रति.क-2,3,4 व प्रति.क. 5 से 16 के पिता के नाम संशोधन पंजी क-4 दिनांकित 10.11.1992 के अनुसार ख.नं-43/1 में दर्ज होने के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से मिलकर विवादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में वादीगण के पिता एवं प्रति.क.2,3,4 एवं प्रति.क.4 लगा. 15 के पिता का नाम वादीगण एवं उनके पिता का नाम उनकी जानकारी के बिना कटवा दिया था, जिसकी जानकारी वादीगण को उक्त दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने पर हुई थी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को प्राप्त होने वाली पैतृक भूमि सहदायिक परिवार की संपत्ति में से 1.00 एकड़ भूमि एवं प्रति.क.-4 लगा. 16 तक के पिता बीरसिंह के द्वारा 2.00 एकड़ भूमि एवं चैनसिंह के द्वारा भूमि विक्रय की जा चुकी है, उनके द्वारा बेची गई भूमि का कब्जा खरीददारों को दे दिया गया है। वादीगण के पिता



स्व. फागू के पिता को प्राप्त होने वाली खानदानी संपत्ति जो कि पूर्व में 14.23 एकड़ थी, विक्रय होने के कारण 10.23 एकड़ है। शेष भूमि ख.नं-43/1 रकबा 11.73 एकड़ भूमि जो लालमन ने फगनसिंह के नाम पर क़य की थी। संपूर्ण विवादित भूमि पर वादीगण का अंश निर्धारण किया जाना है। वादीगण को प्राप्त होने वाली वादग्रस्त संपत्ति का बंटवारा होने के पूर्व एवं लालमन की मृत्यु होने एवं गोधन की मृत्यु हो जाने का फायदा उठाने की गरज से एवं गांव में कोई सच्चाई बताने वाला नहीं होना जानकर प्रति.क.1 के द्वारा विवादित भूमि ख.नं-43/1 रकबा 11.73 एकड़ पर धन के बल से वादीगण का हक समाप्त कर कब्जा कर लिया है। खानदानी हक की भूमि का विक्रय किया जा चुका है, जिसमें अपना नाम एवं अंश प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी हैं। वादीगण की उक्त साक्ष्य का समर्थन उनके साक्षी समरतसिंह वा.सा.2, इमरतसिंह वा.सा.3, हगरु वा.सा.4, संतलाल वा.सा.5 ने उनके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में किया है। वादीगण ने उनके पक्ष में प्रदर्श पी-1 लगा। प्रदर्श पी-8 के राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

8. फगनलाल प्र.सा.1 ने खण्डन में उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि वह एवं वादीगण आपस में सगे रिश्तेदार हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि ख.नं-10, 31/3 रकबा 2.36 ए. 0.55 डि. ग्राम जामटोला प.ह.नं-15, रा.नि.मं. गढ़ी तह. व जिला बालाघाट में स्थित है। उक्त साक्षी ने 43/1 ख.नं-1.992 भूमि स्वयं क़य की थी। भूमि सर्वे क-43/1 रकबा 1.992 हे. भूमि शेष है। वादीगण द्वारा न्यायालय तहसील बैहर के समक्ष खानदानी भूमि का बंटवारा किये जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गए थे, जिसमें न्यायालय से फगनलाल को खानदानी भूमि में से ख.नं-31/3 में से रकबा 1.18 ए. भूमि कुल रकबा 1.45 ए. भूमि प्राप्त हुई थी। शेष बचत भूमि उक्त साक्षी के भाई स्व. गोधनसिंह के चारों पुत्र स्व. फागूलाल, गेन्दलाल, धिन्नु, सोमलाल के बीच में बराबर-बराबर विभाजित की गई थी। वादीगण द्वारा न्यायालय में संशोधन पंजी क्र.4 दिनांकित 10.11.92 के संबंध में झूठा कथन किया है। उक्त संशोधन पंजी में ऐसी कोई सहमति इस साक्षी द्वारा नहीं दी गई थी। उक्त संशोधन पंजी में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि न्यायालय तहसीलदार बैहर द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है, परंतु उक्त संशोधन पंजी के संबंध में न्यायालय तहसीलदार बैहर में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। विवादित भूमि ख.नं-43/1 रकबा 11.73 ए. भूमि फगनलाल के द्वारा स्वयं 1972 में खरीदी गई थी। उक्त भूमि राजस्व प्रलेखों में फगनलाल के नाम पर दर्ज है। फगनलाल के द्वारा उक्त भूमि में से 0.50 डि. मेश्राम, 0.809 हे. प्रताप, 0.50 डि. रूपलाल, 0.050 डि.

सूबेलाल एवं 0.809 हे. गिरजासिंह, 0.369 हे. नीलामरानी, 0.162 हे. प्रेमबती को विक्रय की जा चुकी है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में ख.नं-43/1 रकबा 1.992 हे. भूमि प्रति.क-1 के नाम पर है। प्रति.क-1 की उक्त साक्ष्य का समर्थन उसके साक्षी सामलाल प्र.सा.2 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में की है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

9. वादीगण ने लिखित तर्क प्रस्तुत की है। वादीगण ने लिखित तर्क में उनके वादपत्र एवं साक्ष्य के समान ही तथ्य बताएं हैं। वादीगण की संपूर्ण लिखित तर्क पर मनन किया गया।

10. वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी-1 की संशोधन पंजी दिनांकित-10.05.1997 की भूमि ख.नं-32 में से रकबा 1.25 ए. भूमि चैनसिंह से दिनांक-25.04.1997 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा मिलनसिंह ने क़य की थी। चैनसिंह के शेष भाईयों का परिवार सम्मिलित था कि साक्ष्य वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं की है। उक्त संशोधन पंजी के भूमि के खसरे की नकल प्रस्तुत नहीं की गई है कि चैनसिंह एवं उसके भाई विवादित भूमि के स्वामी थे। प्रदर्श पी-2 की संशोधन पंजी क-105 दिनांकित-06.05.1992 के द्वारा 14.23 एकड़ की भूमि लालमन के फौत होने के कारण उसके पुत्र चैनसिंह, फगनसिंह, बीरसिंह, गोधन एवं पत्नी मंगलोबाई के नाम पर दर्ज हुई थी। उक्त भूमि पर पांचों को बराबर अंश प्राप्त हुआ था। प्रदर्श पी-2 की संशोधन पंजी के अनुसार लालमन के चारों पुत्र उक्त भूमि के स्वामी थे। प्रदर्श पी-3 की संशोधन पंजी क-16 दिनांकित-28.02.93 के द्वारा भूमि ख. नं-36 में से 2.00 ए. भूमि धरमलाल नाबालिग वली माँ रामवती, हेमराज, लालाराम ने चैनसिंह, फगनसिंह से उक्त भूमि 5,000/-रुपये में क़य करने के कारण उनके नाम पर दर्ज हुई थी। उक्त संशोधन पंजी की भूमि प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि नहीं है। प्रदर्श पी-4 की संशोधन पंजी क्रमांक-100 दिनांकित-01.06. 2000 द्वारा ख.नं-6 रकबा 66 ख.नं-45/2 रकबा 0.39 डि. कुल रकबा 1.05 एकड़ भूमि बीरसिंह के फौत होने के कारण उसके पुत्र लामूसिंह एवं उसकी पत्नी रमलीबाई, चैनसिंह, मंगलोबाई के नाम पर रिकार्ड दुरुस्त होकर उक्त भूमि उनके नाम पर दर्ज हुई थी। उक्त भूमि बीरसिंह की संयुक्त संपत्ति थी। प्रदर्श पी-5 की फर्द बटान के द्वारा भूमि सर्वे क-10 में से रकबा 0.27 सर्वे क-31/3 में से 1.18 कुल 1.45 एकड़ भूमि फगनलाल के नाम पर, सर्वे क-10 में से रकबा 0.07 सर्वे क-31/3 में से 0.30 कुल 0.37 एकड़ भूमि फुल्लोबाई, समरथ, इमरत, तिहारो, सुन्दरबाई, दुरपतनबाई के नाम पर, सर्वे क-10 में से रकबा 0.07 सर्वे क-31/3 में से 0.29 कुल 0.36 एकड़ भूमि गेन्दलाल के नाम पर, सर्वे क-10 में

से रकबा 0.07 सर्वे क्र-31/3 में से 0.30 कुल 0.37 एकड़ भूमि धिन्नू के नाम पर, सर्वे क्र-10 में से रकबा 0.07 सर्वे क्र-31/3 में से 0.29 कुल 0.36 एकड़ भूमि सोमलाल के नाम पर फर्द बटांग के द्वारा हुई थी। प्रदर्श पी-7 के न्यायालय तहसीलदार के आदेश में भी उक्त भूमि का उल्लेख है।

11. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2013-14 के प्रदर्श पी-6 के खसरा पांचसाला में भूमि सर्वे क्रमांक-43/1 रकबा 1.992 हे. भूमि पर फगनलाल का नाम भूमि स्वामी आधिपत्यधारी के नाम पर दर्ज है। प्रदर्श पी-8 की संशोधन पंजी क्रमांक-4 दिनांकित-10.11.1992 में भूमि ख.नं-43/1 रकबा 11.23 एकड़ भूमि पर फगनलाल की सहमति से उसके नाम के साथ चैनसिंह, वीरसिंह, गोधन के नाम शामिल-सरीक दर्ज किये गए थे। उक्त संशोधन पंजी के कॉलम नं-9 में लिखा है कि न्यायालय तहसीलदार बैहर ने अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रेषित किया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका कोई आदेश वादीगण ने पेश नहीं किया है। प्रदर्श पी-8 की संशोधन पंजी की भूमि सर्वे क्र-43/1 रकबा 11.23 एकड़ भूमि के संबंध में तहसीलदार के प्रदर्श पी-7 के आदेश में उक्त बंटवारे का उल्लेख नहीं है, किन्तु प्रदर्श पी-6 के खसरा पांचसाला में भूमि सर्वे क्र-43/1 रकबा 1.992 एकड़ भूमि फगनलाल के नाम पर दर्ज है। वादीगण ने फगनलाल के नाम पर क्रय करने वाली भूमि का विक्रयपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। प्रदर्श पी-8 की संशोधन पंजी में भूमि सर्वे क्र-43/1 रकबा 11.23 ए. भूमि का उल्लेख है एवं प्रदर्श पी-6 के खसरा पांचसाला के अनुसार ख.नं-43/1 रकबा 1.992 हे. भूमि शेष बची है। रकबा 11.23 में से 4.9 ए. भूमि कम करने पर 6.25 ए. भूमि विक्रय की जाना या कम हो जाना उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से पाया जाता है, कम हुई जमीन वाद के पक्षकारों में से किन-किन व्यक्तियों को कितनी भूमि बेची है, उसके संबंध में विक्रयपत्रों की प्रति एवं खसना नकलें पेश नहीं की हैं, इसलिए वादग्रस्त संपत्ति 43/1 के कुल कितने बटे नंबर हुए और उनके भूमि स्वामी कौन हुए। वादीगण ने प्रमाणित नहीं किया है। भूमि ख.नं-43/1 का विभाजन होने के संबंध में संशोधन पंजी प्रदर्श पी-8 के बाद की कोई संशोधन पंजी की नकल एवं खसरा नकल पेश नहीं है। ख.नं-1 की संपत्ति उभयपक्ष की होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। भूमि सर्वे क्र-31/3 का बंटवारा प्रदर्श पी-5 के अनुसार हुआ है तथा प्रदर्श पी-7 का जो बंटवारा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि है, उसमें ख.नं-43/1 शामिल नहीं है, इसलिए यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि विवादित संपत्ति का बंटवारा हो चुका है। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वादीगण को विवादित संपत्ति के स्वामी नहीं माना जाता।

**वादप्रश्न क्रमांक-3 का निराकरण:-**

12. फुल्लोबाई वा.सा.1 ने उसकी साक्ष्य में बताया है कि विवादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य 23 वर्ष पूर्व बंटवारा हो गया था। प्रतिवादी साक्षी फगनलाल या उसके साक्षी सोमलाल प्र.सा.2 ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया कि वादीगण का वाद अवधि बाह्य है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वादीगण ने उनके वादपत्र के पैरा-10 में वाद का कारण दिनांक 14.02.2014 को जब वादीगण उनकी भूमि पर कृषि कार्य करने गये थे, तब एवं दूसरी बार पटवारी से अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर उत्पन्न होना बताया है। वादीगण ने न्यायालय में दिनांक-20.01.15 को वाद प्रस्तुत किया था। इस कारण वादीगण का वाद अवधि बाह्य नहीं माना जाता है।

**वादप्रश्न क्रमांक-4 सहायता एवं व्यय**

13. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादीगण उनका वादपत्र खसरा नम्बर 6, 1, 31/3, 32, 45/2, 43 रकबा 0.66 डिसमिल, 0.55 डिसमिल, 2.36 एकड़, 4.50 एकड़ मौजा जामटोला, प.ह.नं-53 रा.नि.मं. बैहर, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित भूमि के संबंध में प्रमाणित करने में असफल रहें हैं। अतः वादीगण का वादपत्र निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

- 1- उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 2- अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही / -  
(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1  
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

सही / -  
(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1  
तहसील बैहर, जिला बालाघाट